



**सार्वजनिक सूचना/Public Notice**

**बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिलों के बारे में - छात्रों और अभिभावकों को सलाह /  
Admission to BDS and MDS Courses – Advisory to Students and Parents**

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि डेंटल कॉलेजों में बीडीएस और एमडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नामित सक्षम काउंसिलिंग अथोरिटी द्वारा आयोजित काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा या अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के मामले में, चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के माध्यम से, जहाँ जैसा लागू हो।

निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए:

**क) मान्य आवंटन पत्र:**

एक छात्र के पास विधिवत अधिकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम काउंसिलिंग अथोरिटी द्वारा जारी एक वैध आवंटन पत्र होना चाहिए।

**ख) कॉलेजों द्वारा जारी आवंटन/दाखिला पत्र:**

किसी भी डेंटल कॉलेज या किसी अन्य अनधिकृत इकाई द्वारा सीधे जारी किए गए किसी भी आवंटन या दाखिला पत्र को दाखिले के लिए वैध नहीं माना जाएगा।

**ग) डेंटल कॉलेजों की जिम्मेदारी:**

डेंटल कॉलेज केवल अधिकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किए गए वैध आवंटन के संबंध में ही छात्रों को दाखिला देंगे और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) द्वारा जारी सभी नियमों, निर्देशों और अनुदेशों का पालन करेंगे।

निर्धारित काउंसिलिंग और आवंटन प्रक्रिया के उल्लंघन में किया गया कोई भी दाखिला संबंधित संस्थान के लिए नियामक परिणाम हो सकता है और छात्र के दाखिले की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

Students and parents are hereby advised that admission to BDS and MDS Courses in dental colleges shall be made only through the counselling process conducted by the competent Counselling Authority designated by the respective State Government/UT Administration or, in the case of the All India Quota (AIQ), through the Medical Counselling Committee (MCC), as applicable.

The following points may be noted:

**1. Valid Allotment Letter:**

A student must possess a valid allotment letter issued by the competent counselling authority through the duly authorised counselling process.

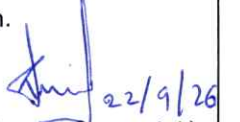
**2. Allotment/Admission Letters Issued by Colleges:**

Any allotment or admission letter issued directly by a dental college or by any other unauthorised entity shall not be considered valid for admission.

**3. Responsibility of Dental Colleges:**

Dental colleges shall admit students only against valid allotments made through the authorised counselling process and shall comply with all applicable regulations, directions and instructions issued by the National Dental Commission (NDC).

Any admission made in violation of the prescribed counselling and allotment process may have regulatory consequences for the institution concerned and may adversely affect the validity of the student's admission.

 22/9/26

(अरिन्दम मोदक / Arindam Modak)

सचिव/Secretary

दिनांक/Dated: 22.09.2026

नई दिल्ली/ New Delhi

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग/  
National Dental Commission